आदेश की क्र0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख के साथ
1	2	3

न्यायालय, भूमि सुधार उप-समाहर्ता, अरवल ।

बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम–09
वाद संख्या–68/2011
विन्देश्वर राम बनाम कृष्णा सिंह वगैरह।

आदेश

19.06.12

प्रस्तुत वाद विन्देश्वर राम, पिता–स्व0 राम प्रसाद राम, ग्राम + पोस्ट–कलेर, थाना–कलेर, जिला–अरवल के द्वारा दाखिल आवेदन पर बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम–09 की धारा 04 के तहत वाद प्रारंभ की गई। जिसका खाता नं0–256, प्लॉट नं0–1243, एराजी–50 डी0 अवस्थित मौजा–कलेर टोला, बुधन विगहा, थाना नं0–159, अंचल कलेर है। प्रश्नगत् भूमि की चौहद्दी उत्तर–साहीद मियाँ, दक्षिण–देव नारायण यादव, पुरब–रधुनन्दन यादव, पश्चिम–साहु खॉ। उभय पक्ष को नोटिस तामिला उपरान्त न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रतिवादी द्वारा आपत्ति पत्र समर्पित उपरान्त भूमि की मापी अंचल अमीन से कराई गई तथा मापी रिर्पोट प्राप्ति के पश्चात् अभिलेख सुनवाई पर रखा गया एवं उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनकर अभिलेख आदेश पर रखा गया।

प्रस्तुत वाद में प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वाद में वर्णित भूमि आवेदक के दादा स्व0 सिधर मोची, पिता–स्व0 बाला मोची को बिहार भुदान यज्ञ कमिटि के द्वारा सन् 18.04.1957 में प्राप्त हुई थी तथा पर्चा की सम्पुष्टि संख्या–721, दिनांक 11.02.1959 के द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्ता, जहानाबाद के द्वारा सम्पुष्ट की जा चुकी है। तब उसे उक्त भूमि पर प्रार्थी के पूर्वज से अब तक प्रार्थी का शान्ति पूर्वक कब्जा में है। प्रश्नगत भूमि का डिमाण्ड प्रार्थी के दादा सिधर मोची के नाम से कायम है तथा राजस्व रसीद कटते चले आ रहे हैं। यह भूमि कृषि योग्य है जिस पर प्रार्थी कृषि कार्य करते हैं। जबकि विपक्षी कृष्णा सिंह का जमीन खाता नं0–238/40,

प्लॉट नं0–1243/8666, रकबा–38 डी0 है। विपक्षी अपने जमीन के जगह प्रार्थी के जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है। जिसके कारण स्थल पर गम्भीर तनाव है।

साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि बिक्रमा यादव द्वारा प्रार्थी के भूमि के दक्षिणी आल काट कर कुछ जमीन अपने कब्जे वाली जमीन से मिला लिया है जबकि सरयु यादव प्रार्थी के भूमि के पुरब तरफ से आल पर कब्जा का दावा कर रहे हैं।

साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि खाता नं0–256, प्लॉट नं0–1243 की कुल रकबा–22.86 एकड़ है जिसमें से प्रार्थी को सिर्फ 50 डी0 जमीन जानीब उत्तर–पुरब कोण पर पर्चा में वर्णित चौहद्दी के अनुसार मतलब है । साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि प्रार्थी के प्रश्नगत् भूमि की पुष्टि मापी प्रतिवेदन से भी होती है।

इसलिए उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रार्थी को प्रश्नगत् भूमि पर दखल–कब्जा को बहाल रखते हुए विपक्षीगण के द्वारा की जा रही जबरन बेदखली के प्रयास से मुक्ति दिलाई जाय।

जबकि प्रतिवाँदी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि दखल कब्जा बहाल रखा जाए जबकि तथाकथित भुदान यज्ञ कमिटि द्वारा निर्गत पर्चा के आधार पर आज तक प्रार्थी या प्रार्थी के पूर्वज को भूमि चिन्हित् नहीं किया गया है तथा प्रार्थी बार–बार न्यायालय को अलग–अलग चौहद्दी देकर न्यायालय के समक्ष कभी धारा–144 द0प्र0सं0 की कार्यवाही तो कभी सीमांकन तो कभी उक्त वाद लाते रहते हैं।

साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि खाता नं0–238/40, प्लॉट नं0–1243/8666, रकबा–38 डी0 द्वितीय पक्ष के कृष्णा सिंह के दादा स्व0 खड़गधारी सिंह की खतीयानी भूमि है तथा खड़गधारी सिंह का कलक्टरी खतियान में सदेह नाम दर्ज है तथा डिमाण्ड भी द्वितीय पक्ष के नाम से कायम है तथा राजस्व का भुगतान किया जा रहा है। खाता नं0–238/40, प्लॉट नं0–1243/8666 में कुल रकबा–38 डी0 में 12 डी0 भूमि विगत 04.10.2006 को द्वितीय पक्ष श्री राम लखन यादव के बेच दिया गया है। जिस पर उनका शान्तिपूर्ण

दखल–कब्जा है।

साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि प्रार्थी द्वारा भूमि विवरणी में जो चौहद्दी दिया गया है वह पूर्णतः भ्रामक है। वास्तव में द्वितीय पक्ष के भूमि 26 डी0 का चौहद्दी उत्तर–रामचन्द्र यादव, दक्षिण–राम लखन यादव, पुरब–राजाराम यादव, पश्चिम–राजाराम यादव है।

साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि द्वितीय पक्ष के खतियानी भूमि से बेदखल कर उक्त वाद अन्तर्गत प्रथम पक्ष का कब्जा नहीं दिलाया जा सकता, क्योंकि प्रथम पक्ष का बन्दोवस्ती परवाना जो भूदान यज्ञ कमिटि द्वारा निर्गत है वह अपने आप में संदिग्ध है तथा सम्पुष्ट नही है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त वाद के संचालन तक न्यायालय शुल्क जमा नहीं किया गया है और न वाद प्रारंभ करने के आवेदन में इसका कोई वर्णन है तथा भूमि की मापी अंचल अमीन द्वारा सही प्रकार से नहीं की गई है, इसलिए उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाय।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी, कलेर के रिर्पोट, भूदान यज्ञ कमिटि द्वारा निर्गत पर्चा, भूमि की मापी प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के भूमि के खाता एवं प्रतिवादी की भूमि के खाता अलग– अलग है जहॉ प्रार्थी का खाता–256, प्लॉट 1243, रकबा– 50 डी0 है। वहीं प्रतिवादी का खाता नं0–238/40, प्लॉट नं0–1243/8666, रकबा–38 डी0 है। राम गोविन्द सिंह सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त एवं रवि कुमार सिन्हा, अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन एवं अंचल अधिकारी कलेर के प्रतिवेदन से प्रार्थी का हकीयत कागजात की पुष्टि होती है।

भूमि की मापी प्रतिवेदन के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी के भूमि सर्वे मैप से मिलान करने पर सरजमीन पर सही पाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचती है कि खाता नं0–256, प्लॉट नं0–1243, रकबा–50 डी0 चौहद्दी उत्तर–साहीद मियॉ, दक्षिण–देव नारायण यादव, पुरब–रधुनन्दन यादव,

पश्चिम–साहु खॉ प्रार्थी की जमीन है जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं।

अतः प्रार्थी के आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए खाता नं0–256, प्लॉट नं0–1243, रकबा–50 डी0 पर प्रथम पक्ष का दखल–कब्जा को घोषित किया जाता है तथा अंचल अधिकारी, कलेर/थाना प्रभारी कलेर को निर्देश दिया जाता है कि प्रश्नगत खाते/प्लॉट की भूमि को चिन्हित कराकर कब्जा दिलाना सुनिश्चित करें तथा प्रतिवादी गण को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रार्थी को नाहक तंग ना करें। जहॉ तक प्रतिवादी के खाता नं0–238/40, प्लॉट नं0–1243/8666, रकबा–38 डी0 की बात है उनके संबंध में अंचल अधिकारी, कलेर को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी के खाते, प्लॉट की भूमि की मापी अंचल अमीन से मापी कराकर चिन्हित करावें। आदेश से उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को अवगत कराये एवं आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी, कलेर एवं थाना प्रभारी, कलेर को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

19/06/12

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता
अरवल।

19/06/12

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता
अरवल।